REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 2 | NOVEMBER - 2018

नागपुर विभाग के बीमा निगमों में प्रशिक्षित लाभार्थी की आर्थिक स्थिती का अध्ययन

प्रा. निशिता गोपाल चिमोटे
एम.कॉम., नेट, एम.फिल.
एस. के. पोरवाल, कामठी.

साराशं

नागपुर विभाग के अंतर्गत असंख्य शिक्षित बेरोजगार युवक मौजूद है। इनमें से अधिक गरीब तथा निम्न वर्ग के है। जो किसी भी प्रकार का उद्योग बिना पुंजी के नही कर सकते है। उन्हे आकर्षित तथा प्रेरीत करने के लिये विशेषत: नागपुर विभाग का चुनाव किया जा रहा है। बीमा ऐसा एक क्षेत्र है, जिसमें बिना पुंजी लगाये आय मिलाई जा सकती है।

प्रस्तावना

भारतीय सन्दर्भ में, जीवन बीमा के अस्तित्व का संकेत वैदिक काल से मिलता है। ऋग्वेद जैसे महान् ग्रन्थ में उल्लेखित 'योग—क्षेमं' शब्द भारतीय जीवन बीमा निगम का मूल आधार हैं मनुष्य जीवन अनेक प्रकार की जोखिमों से परिपूर्ण है। जोखिमों से सुरक्षा के फलस्वरूप मानव जीवन अधिक सुखदायी हो सकता है। सृजन के बाद विनाश की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, ठीक इसी प्रकार जन्म के पश्चात् मृत्यु एक अवश्यम्भावी सत्य है। मानव ने सदैव एक सुरक्षित भविष्य की इच्छा एवं कामना व्यक्त की है। अत: व्यक्ति विशेष की मृत्यु के पश्चात् उसके आश्रितों की आर्थिक यन्त्राणाएं उसे सदैव चिन्तित किये रहती हैं। मनुष्य जीवन के सम्बन्ध में सदैव ही सम्भावनाएं रहती है— प्रथम असमय ही किसी दुर्घटना के कारण काल कल्वित हो जाना, एवं द्वितीय स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त होना। जीवन बीमा में सुरक्षा एवं विनियोग दोनों ही तत्व विद्यमान होते हैं। अनिश्चित दीर्घ जीवनकाल में, यह सम्भव नहीं है कि व्यक्ति स्वयं अपने आश्रितों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सदैव योग्य बना रहे। अत: भौतिक मृत्यु के पश्चात् आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सदैव योग्य बना रहे। अत: भौतिक मृत्यु के पश्चात् आर्थिक कठिनाईयों के जूझने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध किये जाने आवश्यक है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जीवन बीमा का विकास मूल रूप से भौतिक अथवा आर्थिक मृत्यु से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के साधन के रूप में हुआ है।

बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में जीवन बीमे का आर्थिक—सामाजिक परिवेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन बीमे की उपयोगिता के कारण इस व्यवसाय ने तीव्रगति से प्रगति की है। संक्षेप में, जीवन बीमा का प्रादुर्भाव असामायिक अथवा स्वाभाविक मृत्यु के विरूद्ध सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुआ है। जीवन बीमा का उगम एक सामाजिक मृत्यु के विरूद्ध सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुआ है। जीवन बीमा का अपना एक सामाजिक दायित्व भी है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय साधन उपलब्ध कर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

प्रारम्भिक अवस्था में, जब अंग्रेज भारत आये तो उन्होंने बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया। सन् १८१८ मे ओरियण्टल बीमा कम्पनी की स्थापना कलकत्ता में की गई। हमारे देश में बीमा व्यवसाय व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से सन् १८७० से ही प्रारम्भ हो सका, जबकि बम्बई म्युचुअल इन्श्योरेन्स सोसायटी लिमिटेड की स्थापना की गई।

देश में स्वतन्त्रता आन्दोलन ने देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत किया, परिणामस्वरूप बीमा व्यवसाय को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई, फलत: जीवन बीमा व्यवसाय ने प्रशसनीय प्रगति की। किन्तु स्वतन्त्रता के प्राप्ति के पश्चात् एवं विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक अस्थिरता के कारण बीमा व्यवसाय की प्रगति विपरीत रूप से प्रभावित हुई। बीमा व्यवसाय में एक क्रान्तिकारी कदम के रूप में वर्ष १९५६ में निजी जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा की स्थापना की गई। जीवन बीमा व्यवसाय को सुचारू रूप से नियन्त्रित करने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम १९५६ पारित किया गया।

सारणी क्र. १ लाभार्थीयों का व्यवसाय अनुसार वर्गीकरण

अनुक्रम	व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
१	एजन्ट	८२	४१
२	नोकरी + एजन्ट	२७	१३.५
३	घरगृहिणी + एजन्ट	४५	२२.५
४	सेवा निवृत्त + एजन्ट	२५	१२.५
५	धंदा + एजन्ट	१५	७.५
६	अन्य	६	३.०
	कुलयोग	२००	१००

सिर्फ एजन्ट का काम करनेवाले ८२(४१ प्रतिशत) है। नोकरी के साथ एजन्ट का काम करनेवाले २७(१३.५ प्रतिशत) है। घरगृहिणी एजन्ट ४५(२२.५ प्रतिशत)है। सेवा निवृत्त कर्मचारी जिन्होने एजन्सी ली है ऐसे २५(१२.५ प्रतिशत) है। धंदे के साथ एजन्सी चलानेवाले १५(७.५ प्रतिशत) है तथा अन्य एजंन्ट ६(३ प्रतिशत) है।

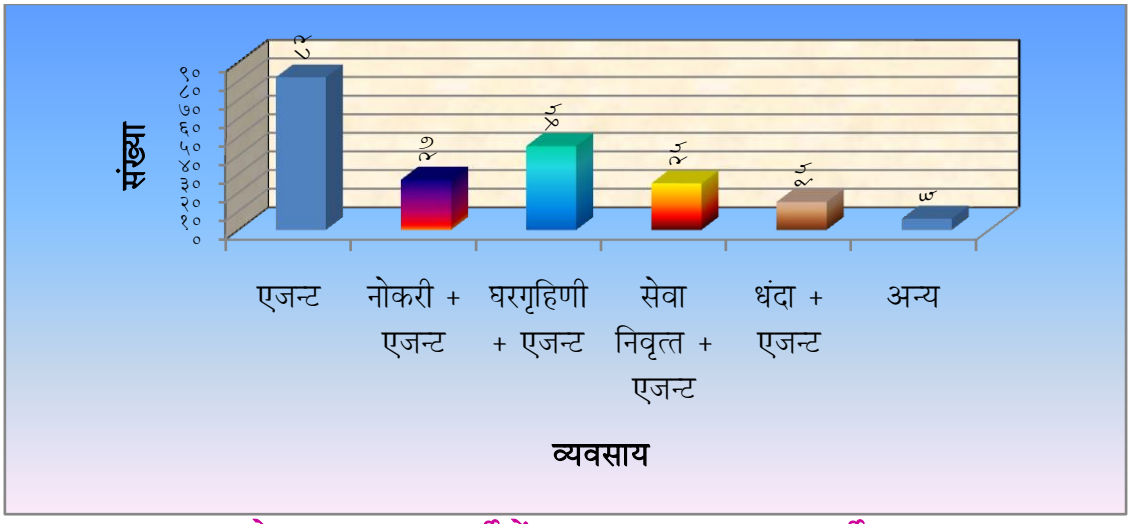

आलेख क्र. १: लाभार्थीयों का व्यवसाय अनुसार वर्गीकरण

सारणी क्र. २ वार्षीक आमदानी अनुसार लाभार्थीयों का वर्गीकरण

अनुक्रम	आमदनी (वार्षीक) रू.में	लाभार्थी संख्या	प्रतिशत
१	एक लाख से कम	६४	३२
२	लखपति	१०२	५१
३	करोडपति	३४	१७
	कुलयोग	२००	१००

वार्षीक आमदानी अनुसार ऐसा दिखता है की एक लाख से कम आमदनी पानेवाले ६४(३२ प्रतिशत) है। लखपति धंदा करनेवाले १०२ (५१ प्रतिशत) है और करोडपती धंदा करनेवाले ३० (५१ प्रतिशत) है।

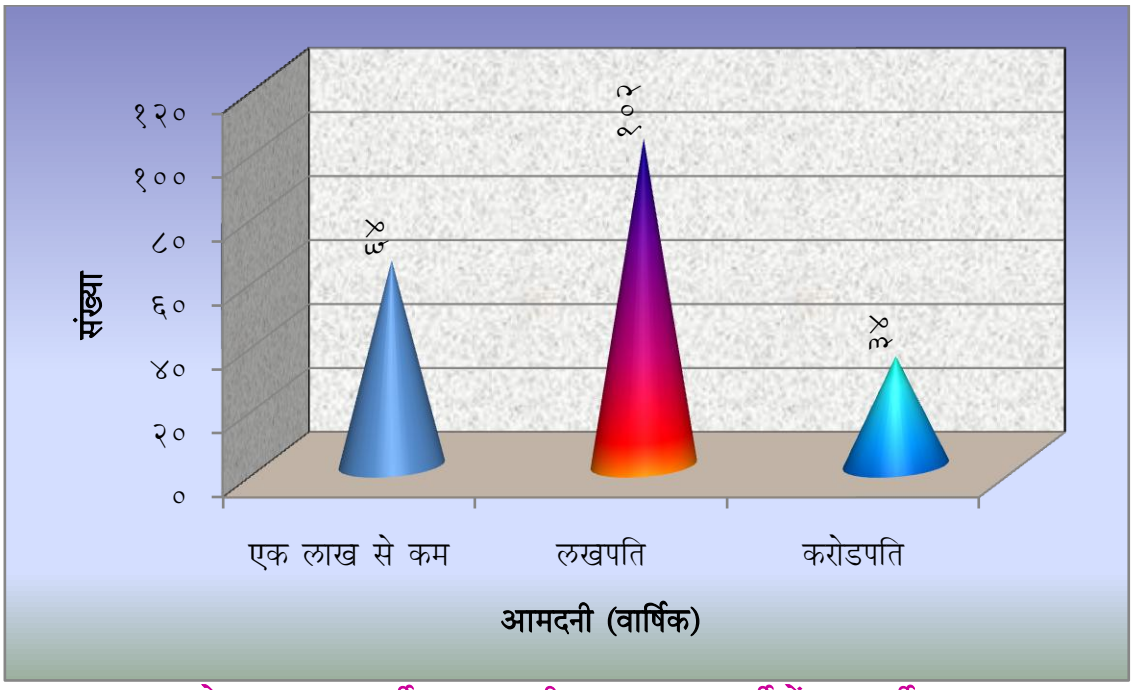

आलेख क्र. २: वार्षीक आमदानी अनुसार लाभार्थीयों का वर्गीकरण

निष्कर्ष

सिर्फ एजन्ट का काम करनेवाले ५२(२६ प्रतिशत) है। नोकरी के साथ एजन्ट का काम करनेवाले २७(१३.५ प्रतिशत)है। घरगृहिणी एजन्ट १२२(६१ प्रतिशत)है। सेवा निवृत्त कर्मचारी जिन्होने एजन्सी ली है ऐसे २५(१२.५ प्रतिशत) है। धंदे के साथ एजन्सी चलानेवाले १५(७.५ प्रतिशत) है तथा अन्य एजंन्ट २३(११.५ प्रतिशत) है। वार्षीक आमदानी अनुसार ऐसा दिखता है की एक लाख से कम आमदनी पानेवाले २४(१२ प्रतिशत)है। लखपति धंदा करनेवाले १२२ (६१ प्रतिशत) है और करोडपती धंदा करनेवाले ५४ (२७ प्रतिशत) है।

संदर्भसूची

1. Ingrisano John R., Ingrisance Corinne M. The Insurance Dictionery theA to Z of life and Health.
2. बोस, डी.एन., शुक्ला, जे.एन., अस्थाना, एन.के., शुक्ला सोमेश. बीमा सिध्दांत एवं व्यवहार.
3. Pande G.S. Principles & Practice of Insurance.
4. Kanwal L.S. Text Book of Insurance
5. पाटुकले क्षितीज. विम्याविषयी सर्व काही.

६. कानेटकर मेधा. विमाशास्त्र तत्व आणि व्यवहार.
७. जोशी, सी.जे., मानकर सुधाकर. विमाशास्त्र बी.कॉम. एक.
८. मिश्रा एम.एन. बीमा सिद्धांत एवं व्यवहार.
९. गर्ग आर.के. बीमा के मूलतत्व.